निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 71/2023
दायरा दिनांकः–3.11.2023
निर्णय दिनांकः– 16.10.24

उनवान

बालचन्द आयु 36 वर्ष पुत्र पन्नालाल जाति मेघवाल निवासी ग्राम तीतरवासा तहसील झालरापाटन जिला झालावाड राज.

बनाम

रमेश आयु 60 वर्ष आत्मज श्यामलाल जाति मीण निवासी ग्राम बालापुरा तहसील छबडा जिला बारां राज.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0
निर्णय दिनांकः– 16-10-24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री राकेश कुमार सोनी – प्रार्थी
2 श्री सुरेन्द्र भार्गव – अप्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212(2) आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय मे इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी के खातेदारी एंव कब्जे काश्त की भूमि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2079 वर्ष (2023) के अनुसार वाके माल (ग्राम) निपानियां तहसील छबड़ा की भूमि खाता संख्या 210 के अनुसार खसरा नम्बर 668/1 रकबा 1.1128 हैक्टयर व भूमि खसरा नम्बर 668/3 रकबा 0.1265 हैक्टयर कुल 2 किता रकबा 1.2393 हैक्टयर भूमि स्थित है जिस पर प्रार्थी स्वयं करता चला आ रहा था। प्रार्थी के निवास स्थान की दूरी होने के कारण प्रार्थी अपनी भूमि को पाती मुनाफे से काश्त कराने लगा वर्ष 2021 व 2022 मे दो वर्ष के लिए प्रार्थी ने अपनी भूमि मुनाफा काश्त करने के लिए मौखिक रूप से प्रतिवादी को 10,000 /– रूपये प्रति बीघा के हिसाब से कुल 50,000/– रूपये प्रतिवर्ष के हिसाब से काश्त करने के लिए दी थी मुनाफे का रूपया फसल आने पर देना तय हुआ था।वर्ष 2021 का मुनाफे के रूपया 50.000/– रूपये प्रार्थी ने अप्रार्थी से मांगा तो उसने खर्च होने का बहाना बना कर एक साथ दो वर्ष का रूपया देने की बात कहकर प्रार्थी को टाल दिया फिर वर्ष 2022 मे प्रार्थी फसल आने पर मुनाफे के रूपये लेने आया तो अप्रार्थी ने प्रार्थी को दो वर्षों की मुनाफा राशि एक लाख रूपये अदा नही किये इस पर प्रार्थी ने भूमि खाली करने व अन्य को मुनाफे से देने के लिए कहा तो वह बच्चो की सोगन खाकर एक वर्ष करने व एक साथ रूपया देने की कहने लगा वर्ष 2023 में भी अप्रार्थी ने फसल काश्त कर ली और प्रार्थी को तीन वर्षों का 1: (डेढ़ लाख रूपया) भी नही दिया और ना ही भूमि से अपना कब्जा हटाया और वादी की भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर काश्त कर रहा है जिसमे प्रार्थी की कोई सहमति नही है प्रार्थी अप्रार्थी को अपनी भमि से बेदखल कराकर कब्जा प्राप्त करने व मुनाफे के रूपये तब तक अप्रार्थी काश्त करेगा 50,000/– रूपये प्रतिवर्ष के हिसाब से प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी ने वर्ष 2023

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

लिए मुनाफे काश्त करने के लिए अपनी भूमि नवनीत भार्गव पुत्र रमेशचन्द को दी थी किन्तु प्रार्थी ने व उसके परिवार के सदस्यो ने मुनाफेदार नवनीत भार्गव को वर्ष 2023 में काश्त नहीं करने दी और जबरन अतिक्रमण कर काश्त कर रहा है। प्रार्थी दिनांक 28/07/2023 को अप्रार्थी के पास मुनाफे के रूपये मांगने गया तो प्रतिवादी ने प्रार्थी के साथ गाली गलोच कर लड़ाई झगड़े पर आमादा हुआ इस पर मुनाफेदार वर्ष 2023 के नवनीत भार्गव ने बीच बचाव किया अन्यथा भारी झगड़ा होने व जान माल की हानी होने की पूरी पूरी सम्भावना थी। अप्रार्थी की भूमि पर जबरन कब्जा बनाये रख कर प्रार्थी की भूमि हड़पना चाहता है। जिसका अप्रार्थी को कोई वैधानिक हक व अधिकार प्राप्त नही है। अप्रार्थी एंव उसके परिवार के सदस्य लड़ाकू झगड़ालू किस्म के लोग है जबकि प्रार्थी शान्ति प्रिय व्यक्ति है प्रार्थी अप्रार्थी एवं उसके परिवार व प्रतिनिधियो को जर्ये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है ताकि प्रार्थी अपनी भूमि में शान्ति पूर्वक काश्त कर सके। प्रार्थी विवादित भूमियात का खातेदार एंव काश्तकार है जिसने अपनी सहमति से दो वर्ष के लिए अप्रार्थी भूमि मुनाफा काश्त करने के लिए दी थी जिसकी मुनाफा राशि भी अप्रार्थी ने प्रार्थी को अदा नही की और ना ही प्रार्थी की भूमि को प्रार्थी के सुपुर्द किया अप्रार्थी जबरन अतिक्रमण करते हुये प्रार्थी की भूमियात पर काश्त कर रहा है, प्राईमा फेसाई केस एंव सुविधा का सन्तुलन तथा अपरिमित क्षति प्रार्थी के पक्ष मे विधमान है प्रार्थी अपनी भूमियात पर रिसीवर नियुक्त कराने का अधिकारी है। इस प्रार्थना पत्र को प्रस्तुत करने का कारण अन्तिम बार दिनांक 28/07/2023 को पैदा हुआ जब प्रार्थी अपनी भूमि के मुनाफे के रूपये मांगने व नवीन मुनाफेदार नवनीत भार्गव को भूमि काश्त करने के लिए सम्भलाने गया तो अप्रार्थी द्वारा लड़ाई झगड़ा करने व भूमि खाली नही करने पर पैदा हुआ।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ वकील प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम निपानिया सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 210 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम निपानिया पेश किया गया।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम निपानिया तहसील छबडा में स्थित है। जिस पर प्रार्थी स्वंय काश्त करता चला आ रहा है। प्रार्थी झालावाड जिले में निवास करता है प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को उक्त भूमि 10000/– प्रति बीघा के हिसाब से 50000/– में प्रति वर्ष के हिसाब से मुनाफा काश्त करने के लिए वर्ष 2021 को दी गई थी। प्रार्थी द्वारा वर्ष 2021 में मुनाफा राशि मागी तो प्रार्थी ने खर्च होने का बहाना बना दिया तथा दोनो वर्ष की राशि एक साथ देने की कहां प्रार्थी द्वारा मुनाफे की राशि नही दी ओर न ही जमीन से कब्जा छोडा प्रार्थी ने अपनी भूमि वर्ष 2023 में मुनाफे काश्त पर नवनीत कुमार को दी परन्तु अप्रार्थी द्वारा उसको मुनाफें काश्त पर जमीन काश्त नही करने दी प्रार्थी ने अप्रार्थी से कब्जा छोडने की कहां तो प्रार्थी को मारने की धमकी दी गई। अप्रार्थी द्वारा दो वर्ष की मुनाफा राशि नही दी ओर ना ही भूमि से कब्जा छोडा अप्रार्थी प्रार्थी की भूमि पर जबरन अतिक्रमण कर भूमि पर काश्त कर रहा है प्रार्थी की भूमि से अप्रार्थी कब्जा नही छोड रहा है प्रार्थी अपनी भूमि को रिसीवर करवाने का अधिकारी है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि विवादित भूमि पर प्रार्थी का कभी कब्जा काश्त नही रहा अप्रार्थी अपने पूर्वजों के समय से विवादित भूमि पर कब्जा काश्त करता चला आ रहा है विवादित भूमि पर अप्रार्थी को लम्बे समय से कब्जा काश्त होने खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गया है अप्रार्थी बिना किसी व्यवधान के कृषि करता चला आ रहा है प्रार्थी कभी कब्जा लेने नही आया ओर ना ही प्रार्थी ने अप्रार्थी को मुनाफा काश्त पर दी प्रार्थी द्वारा मनगढत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा जब भूमि खरीदी तब भी कब्जा प्राप्त नही किया। प्रार्थी का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा अप्रार्थी का पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थी को पाबन्द फरमाया जावे कि अप्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखल अन्दाजी नही करे। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम निपानिया तहसील छबडा सम्वत् 2074—77 खाता संख्या 210 के खसरा नम्बर 668/1 रकबा 1.1128 है0 खसरा नम्बर 668/3 रकबा 0.1265 है0 प्रार्थी बालचन्द पुत्र पन्नालाल जाति मेघवाल सा0देह तीतरवास जिला झालावाड के नाम दर्ज रिकार्ड है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी प्रार्थी के खातेदारी की है अप्रार्थी अपना कब्जा काफी लम्बे समय से होना बता रहा है कब्जे के आधार पर खातेदारी प्राप्त होने का दावा करता है जबकि भूमि प्रार्थी के खातेदारी में दर्ज है परन्तु प्रार्थी का कभी कबजा काश्त नही रहा है। अप्रार्थी का भूमि पर लगभग 100 साल से कब्जा होना बताया है प्रार्थी से पहले पूर्व खातेदार का कब्जा नही रहा और प्रार्थी द्वारा क्रय करने के बाद भी कब्जा नही लिया गया। प्रार्थी द्वारा स्वंय का कब्जा होने का या क्रय के बाद प्रार्थी द्वारा कब्जा लेने का ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेज व सबूत पेश नही किये जिससे प्रार्थी द्वारा कब्जा लिया जाना साबित हो सके। अप्रार्थी का 100 वर्ष से कब्जा है जिस पर रिसीवर किया जाना उचित नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा